

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

मुकदमा सुमिता विपक्षी लालचंद
आर्षना पत्र पत्रावली संख्या 35/19 सन _____

5 कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
<p>21/8/20 पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/उपस्थित/बीडामिन अधिकारी नहीं। आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधार है। पत्रावली पूर्व आदेश की शलना में दिनांक 24/8/20 को पेश हो।</p> <p>24/8/20 पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में आर्षनामय अधिवक्ता की आर्षना की बहस पर मन्त्र किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में आर्षना इस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहकर इसी स्तर पर ड्रॉप कराने का आर्षना पत्र पेश किया है। आर्षना की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की जा चुकी है। अतः प्रकरण में आर्षना कोई कार्यवाही नहीं चाहने से आर्षना का आर्षना पत्र धारा 212 R.T.A. इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुगया गया।</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/उपस्थित/बीडामिन अधिकारी नहीं। आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधार है। पत्रावली पूर्व आदेश की शलना में दिनांक _____ को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i></p>



(Signature)
 उपाधिकारक
 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
 मावली, उदयपुर

